

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर


क्रमांक : प्रशि./जनप्र/जी-88 (पार्ट-1)/2020/

दिनांक :

आदेश


इस निदेशालय की जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2020-21 की संक्षिप्त/विस्तृत विज्ञप्ति क्रमांक : प्रशि./जनप्र/जी-88 (पार्ट-1)/2020/480 दिनांक 24.08.2020 के संदर्भ में निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों की छटनी/जांच के उपरान्त अभ्यर्थियों की अंतरिम वरियता सूची निदेशालय के आदेश क्रमांक : प्रशि./जनप्र/जी-88 (पार्ट-1)/2020/662 दिनांक 16.10.2020 के द्वारा जारी करते हुए, किसी को कोई आपत्ति हो तो दिनांक 21.10.2020 तक तत्संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था।

निर्धारित तिथि तक प्राप्त परिवेदनाओ का निस्तारण कर लिया गया है। अतः अंतिम वरियता सूचियां निर्देशानुसार जारी की जाती है।


संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0, जयपुर
दिनांक : 27/10/20

क्रमांक : प्रशि./जनप्र/जी-88 (पार्ट-1)/2020/687
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सहायक, अति0 निदेशक (प्रशासन), मुख्यालय।
2. प्रभारी, सर्वर कक्ष, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि पूर्व में जारी अंतरिम वरियता सूची को विभागीय वेबसाईट से हटाते हुए संलग्न सॉफ्ट कॉपी की अंतिम वरियता सूची को विभागीय वेबसाईट पर जीएनएम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2020-21 में अपलोड करने का श्रम करे। (संलग्न : सूची.)
3. जन सूचना अधिकारी, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आशय का प्रेस नोट राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु संबंधित को भिजवाने का श्रम करावें।
4. आदेश/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0, जयपुर